वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2015

क्रमांक एफ 08–04/2011/10–2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) की धारा 63 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम, 2015 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं–**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18),

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण;

(ग) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड;

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उप–धारा (4) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष;

(ङ) ''समिति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) के अधीन स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित जैव विविधता प्रबंधन समिति;

(च) ''विशेषज्ञ सदस्य'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य तथा इसमें इसका अध्यक्ष सम्मिलित है;

(छ) ''शुल्क'' से अभिप्रेत है इन नियमों में नियत कोई शुल्क;

(ज) ''प्ररुप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररुप;

(झ) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्रेत है बोर्ड का सदस्य–सचिव;

(ञ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ट) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और जो अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति :–

(1) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(2) उप–नियम (1) के अधीन जैव विविधता के मुद्दों पर अपेक्षित ज्ञान तथा विशेषज्ञता रखने वाले राज्य सरकार के सेवारत अधिकारी, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा कोई विख्यात व्यक्ति, जिसे जैव विविधता के संरक्षण, पोषणीय उपयोग और लाभों के साम्यपूर्ण विभाजन का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हो, बोर्ड का अध्यक्ष होगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की दशा में, आवेदक राज्य सरकार के प्रमुख सचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए;

(3) राज्य सरकार, अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने हेतु एक समिति गठित कर सकेगी;

4. अध्यक्ष की पदावधि :–

(1) बोर्ड का अध्यक्ष, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परन्तु अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा;

(2) अध्यक्ष, राज्य सरकार को कम से कम एक मास की लिखित सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा;

(3) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह–

(क) दिवालिया निर्णित किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया हो; या

(घ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित के लिये अहितकर है; या

(ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

परंतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न के अधिकारी द्वारा सम्यक् तथा उचित जांच किये बिना एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, अध्यक्ष को उसके पद से नहीं हटाया जायेगा।

5. **अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते–**

(1) अध्यक्ष, प्रतिमाह निश्चित वेतन, जो एच.ए.जी.+ वेतनमान (रु. 75500–80000) प्रति माह के अधिकतम वेतन के समतुल्य होगा, का हकदार होगा, सेवानिवृत्त व्यक्ति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की दशा में, उसका वेतन ऐसे व्यक्तियों को यथा लागू राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष ऐसे भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास तथा अन्य ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें।

6. **विषेशज्ञ सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि और भत्ते–**

(1) जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) के विषयों के विशेषज्ञों में से पांच सदस्य नियुक्त किए जाएंगे,

(2) राजपत्र में उनकी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से, एक समय में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बोर्ड के प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य, अपना पद धारण करेंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह–

(क) दिवालिया निर्णित किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धिदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया है ; या

(घ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित के लिये अहितकर है; या

(ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

परंतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न के अधिकारी द्वारा सम्यक

तथा उचित जांच किये बिना एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, विशेषज्ञ सदस्य को उसके पद से नहीं हटाया जायेगा;

(4) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य, बैठक भत्ते, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ते एवं ऐसे अन्य भत्ते, जैसा कि ऐसे आयोग या समितियों की बैठक में उपस्थित होने वाले राज्य शासन के आयोगों एवं समितियों के गैर शासकीय सदस्यों को लागू हों, के हकदार होंगे.

7. **विषेशज्ञ सदस्य की रिक्तियों का भरा जाना–**

(1) बोर्ड का कोई विशेषज्ञ सदस्य, राज्य सरकार को लिखित में सूचना देते हुए किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और बोर्ड में उस सदस्य का पद (सीट) रिक्त हो जायेगा;

(2) बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नई नियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा तथा रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नामांकित किया गया है, केवल शेष कालावधि के लिए ही पद धारण करेगा.

8. **पदेन सदस्यों की नियुक्ति – पांच पदेन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी–**

(एक) तीन पदेन सदस्य, निम्नलिखित विभागों, /संस्थाओं से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्–

(क) कृषि विभाग, छत्तीसगढ़;

(ख) पशु पालन विभाग, छत्तीसगढ़;

(ग) मत्स्योद्योग विभाग, छत्तीसगढ़;

(घ) उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़;

(ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़;

(च) संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़;

(छ) पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़;

(ज) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग;

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड, रायपुर;

(ञ) छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, रायपुर;

(ट) आदिमजाति कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़.

(दो) जैव विविधता के कार्यों की देख–रेख करने वाले वन विभाग, छत्तीसगढ़ का प्रमुख;

(तीन) बोर्ड का सदस्य सचिव;

9. **बोर्ड का मुख्यालय – बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा।**

10. **बोर्ड का सदस्य सचिव–**

(1) राज्य के वन विभाग के मुख्य संरक्षक, अतिरिक्त प्रमुख मुख्य संरक्षक को राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा उसकी नियुक्ति की अवधि एवं शर्तें, राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी;

(2) सदस्य सचिव, बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा। वह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा उनके मार्गदर्शन के अनुसार निर्मुक्त निधियों का भी उपयोग करेगा;

(3) बोर्ड द्वारा जारी समस्त आदेश या निर्देश, सदस्य सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षराधीन होंगे;

(4) सदस्य सचिव या तो स्वयं या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से, अनुमोदित बजट पर, समस्त भुगतानों को स्वीकृत तथा संवितरित कर सकेगा;

(5) सदस्य सचिव को प्राक्कलनों, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई है या जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति देने की शक्तियाँ, सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित की गई हैं, की तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति होगी;

(6) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त गोपनीय पत्रों का भारसाधक होगा तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा जब कभी भी इस प्रकार निर्देशित किया जाए, वह ऐसे पत्रों को प्रस्तुत करेगा;

(7) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अभिलेख, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्रम से अनुसार लिखने के पश्चात् संधारित करेगा;

(8) सदस्य सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि उसे बोर्ड द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किया जाये।

11. बोर्ड का बैठक (अधिवेशन)–

(1) बोर्ड की बैठक, सामान्यतः छः मास की कालावधि के पश्चात् एक वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये;

(2) बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या राज्य सरकार के निर्देश पर, अध्यक्ष, बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलायेगा;

(3) प्रयोजन, समय तथा स्थल, जिस पर ऐसी बैठक आयोजित की जानी है, को विनिर्दिष्ट करते हुए, सामान्य बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिनों की तथा विशेष बैठक की कम से कम तीन दिनों की सूचना सदस्यों को दी जायेगी;

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी;

(5) बोर्ड का निर्णय, यदि आवश्यक हो तो, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से लिया जाएगा और अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा;

(6) प्रत्येक सदस्य का एक मत (वोट) होगा;

(7) बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति पांच होगी;

(8) कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय को, जिसकी उसने दस दिन की सूचना न दी हो, बैठक में विचारण के लिए लाने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न दें;

(9) सदस्य की बैठक की सूचना, उसके अंतिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान पर संदेशवाहक द्वारा परिदत्त कर या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या इलेक्ट्रानिक मेल के माध्यम से दी जायेगी;

(10) इसके अतिरिक्त, बोर्ड अपने कारबार के संव्यवहार के लिये ऐसी प्रकिया, अधिनियमित कर सकेगा, जैसा कि वह उपयुक्त तथा उचित समझें.

12. बोर्ड द्वारा विषेशज्ञ समिति की नियुक्ति तथा उनकी पात्रतायें :–

(1) बोर्ड, ऐसे प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में, जैसा कि वह उचित समझे, समितियों का गठन कर सकेगा, जो पूर्णतः सदस्यों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या अशंतः सदस्यों से या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी;

(2) बोर्ड के सदस्यों को छोड़कर, विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए, ऐसे बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि बोर्ड के गैर–शासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय हो;

(3) बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा, जिनकी सहायता या सलाह, वह अपने किन्हीं कृत्यों के निष्पादन में तथा अपने किन्हीं बैठकों (सम्मेलनों) के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए अभिप्राप्त किया जाना उपयोगी समझे, बोर्ड से सहबद्ध ऐसे व्यक्ति, बोर्ड के गैर–शासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय अनुसार बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

13. **बोर्ड के सामान्य कृत्य – बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा, अर्थात् :–**

(एक) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना;

(दो) जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(तीन) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

(चार) भारतीय नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या अधिनियम की धारा 3 (2) के अधीन ऐसे आने वाले को छोड़कर भारत में पंजीकृत संगठन द्वारा किसी जैव संसाधन की वाणिज्यिक उपयोगिता के लिये जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता या वाणिज्यिक उपयोगिता के लिये अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करते हुये या अन्यथा विनियमित करना;

(पांच) राज्यं की जैव विविधता रणनीति तथा कार्य योजना के उद्यतीकरण की सुविधा प्रदान करना तथा उसे क्रियान्वित करना;

(छः) अध्ययन करवाना तथा जांच और अनुसंधान प्रायोजित करना;

(सात) बोर्ड के उसके कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, सलाहकार नियुक्त करना परंतु यदि किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से परे नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा समीचीन हो, तो बोर्ड ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगेगा;

(आठ) जैव विविधता के संरक्षण, इसके संगटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैवीय संसाधनों के उपयोग तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित तकनीकी और सांख्यकीय आंकड़े नियमावली, संहिता और मार्गदर्शन (डेटा) संग्रहित, संकलित तथा प्रकाशित करना;

(नौ) जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम जनसंपर्क साधन के माध्यम से आयोजित करना;

(दस) जैव विविधता के संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के कार्यक्रमों में लगे हुए या संभाव्यतः लगाए जाने वाले कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाना और प्रशिक्षण आयोजित करना;

(ग्यारह) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रजिस्टर तथा इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध अतिरिक्त ज्ञान के लिए डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और प्रलेखीकरण प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना;

(बारह) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासकीय संस्थानों, स्थानीय निकायों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों को निर्देश देना तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित समस्त उपायों में उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता को सरल बनाना;

(तेरह) जैव विविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता एवं अनुदान स्वीकृत करना;

(चौदह) अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का दायित्व लेना;

(पन्द्रह) बोर्ड के कृत्यों तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना;

(सोलह) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति से किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) द्वारा शुल्क की अनुशंसा करना, विहित करना, उपांतरित करना तथा संग्रहित करना;

(सत्रह) अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये तरीके ढूंढना जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे सहयुक्त ज्ञान पर बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकार सम्मिलित हैं और समुचित रूप से ऐसी जानकारी की गोपनीयत बनाए रखे जाने की प्रणालियाँ तथा पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में दर्ज की गई जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित हैं;

(अट्ठारह) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा जैव विविधता पर आश्रित जीविका, योजना एवं प्रबंधन के समस्त्य सेक्टर में, तथा राज्य से लेकर स्थानीय योजना के सभी स्तरों पर एकीकृत हो, जिससे उनके संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए योगदान देने हेतु ऐसे सेक्टर और प्रशासकीय स्तरों को समर्थ बनाया जा सके;

(उन्नीस) बोर्ड का, उसकी स्वयं की प्राप्तियों के साथ ही राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी निगमित करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना, परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया आबंटन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अनुसार प्रचलित किया जायेगा;

(बीस) बोर्ड को समस्त प्राक्कलनों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी, तथापि वह ऐसी प्रशासकीय स्वीकृति की शक्तियाँ, जैसी कि आवश्यक समझी जाएं, बोर्ड के सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(इक्कीस)बोर्ड द्वारा कृत्यों के प्रभावखारी निर्वहन के लिए, राज्य सरकार को पदों के सृजन की अनुशंसा करना तथा ऐसे पदों को सृजित करना, परंतु स्थायी प्रकृति का पद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा;

(बाईस) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा कि अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये;

(तेईस) जंगम तथा स्थावर, दोनों ही संपत्ति का अर्जन, धारण तथा व्ययन करने और उसके लिए संविदा करने की शक्ति होगी.

14. अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य :–

(1) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के क्रियाकलाप कुशलतापूर्वक तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार चल रहे हैं;

(2) अध्यक्ष को, बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों (स्टॉफ) पर सामान्य अधीक्षण की शक्ति होगी तथा अध्यक्ष, बोर्ड के क्रियाकलाप के संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा;

(3) अध्यक्ष, बोर्ड का समस्त अधिवेशन आहुत करेगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चयों का उचित रीति में क्रियान्वयन हो रहा है.

15. **बोर्ड का सेटअप– बोर्ड का प्रशासकीय सेटअप, बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।**

16. **बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें :–**

(1) बोर्ड के कर्मचारियों के निबंधन तथा शर्ते, राज्य सरकार के अधीन तत्स्थानी वेतनमान के समान ही होंगी, नियुक्तियाँ सामान्यतः संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न की जाएं;

(2) बोर्ड में पदों पर भर्ती/पदोन्नति के तरीके, बोर्ड अनुमोदित करेगा;

17. जैव संसाधनों तक पहुंच/उसके संग्रहण की प्रकिया :–

(1) भारत का कोई नागरिक या एक निगमित निकाय, संगम या संगठन, जो भारत में पंजीकृत है, जो अधिनियम की धारा 7 के परंतुक में यथा उपबंधित ऐसे अपवाद के साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिये या वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोग के लिये जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच/उनका संग्रहण चाहता है, इन नियमों से संलग्न प्ररुप–एक में बोर्ड को आवेदन करेगा वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्रत्येक आवेदन जैव विविधता बोर्ड के पक्ष में 1000/– रुपये के डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;

(2) बोर्ड, आवेदन की सम्यक् समीक्षा करने, संबंधित स्थानीय निकायों से परामर्श करने तथा ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् आवेदन का, उसकी प्राप्ति से, यथासंभव, 3 माह की कालावधि के भीतर, विनिश्चय करेगा;

इस संदर्भ में, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "परामर्श" में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कदम भी सम्मिलित हैं :–

(क) पहुंच/संग्रहण के लिए प्रस्ताव की, स्थानीय भाषा में, सार्वजनिक सूचना जारी करना;

(ख) स्थानीय निकाय की साधारण सभा में चर्चा/संवाद; और

(ग) प्रस्ताव के बारे में तथा संरक्षण एवं आजीविका हेतु उसके प्रभावों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् सभा से औपचारिक सहमति प्राप्त करना;

(3) आवेदन के गुणागुण की संतुष्टि हो जाने पर, बोर्ड, आवेदन की अनुज्ञात कर सकेगा या ऐसे क्रियान्वयन को निर्बन्धित कर सकेगा, यदि उसकी राय हो कि ऐसे क्रियाकलाप, जैव विविधता के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप से उद्‌भूत लाभ के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) के उद्‌देश्यों के लिए हानिकारक या उसके प्रतिकूल हैं;

(4) बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लिखित अनुबंध द्वारा जैव संसाधनों की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव उपयोगिता निगमित होगा;

(5) पहुंच/संग्रहण की शर्तों में जैव संसाधनों के जिनके लिए पहुंच/संग्रहण स्वीकृत किया जा रहा है, संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से उपाय किए जाएंगे;

(6) बोर्ड यदि यह समझता है कि आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा। नामंजूरी का आदेश जारी करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा;

(7) पूर्व सूचना के लिए उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररुप में दी गई कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी एवं उससे असंबद्ध किसी भी व्यक्ति को या तो आशय के साथ अथवा किसी आशय के बिना, प्रकट नहीं की जाएगी।

18. जैव संसाधनों तक पहुंच से संबंधित क्रियाकलापों (गतिविधियों) पर निर्बन्धन

(1) बोर्ड, यदि आवश्यक तथा समुचित समझे तो निम्नलिखित कारणों से जैव संसाधनों तक पहुंच के प्रस्ताव को निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए कदम उठायेगा, अर्थात्–

(एक) यदि पहुंच के लिए अनुरोध किसी संकटग्रस्त प्रजाति के लिए हो अथवा उस प्रजाति के लिए हो, जो इस तरह की पहुंच से संकटग्रस्त हो सकती हो;

(दो) यदि पहुंच के लिए अनुरोध किसी स्थानीय तथा दुर्लभ प्रजाति के लिये हो;

(तीन) यदि पहुंच के लिए अनुरोध का स्थानीय जनों की जीविका, संस्कृति तथा जातीय ज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना हो;

(चार) यदि पहुंच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हो, जिसे नियंत्रित एवं कम करना कठिन हो;

(पाँच) यदि पहुंच के लिए अनुरोध से अनुवांशिक क्षरण होता हो अथवा पारिस्थितिक तंत्र क्रिया विधि प्रभावित होती हो;

(छः) यदि राष्ट्रीय हित तथा देश में किए गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के विपरीत उद्देश्यों के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाये।

19. पहुंच/अनुमोदन का प्रतिसंहरण :–

(1) बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन या तो किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के विनियमन हेतु किये गये अनुमोदन को वापस ले सकेगा तथा लिखित अनुबंध का प्रतिसंहरण कर सकेगा, अर्थात् :–

(एक) इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि जिस व्यक्ति का उक्त जैव संसाधन तक पहुंच है, उसने अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या शर्तों का, जिन पर आवेदन स्वीकृत किया गया था, उल्लंघन किया है;

(दो) अनुबंध के निबंधनों का अनुपालन करने में विफल होने पर;

(तीन) पहुंच/संग्रहण की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल होने पर;

(चार) पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण, आजीविका एवं ज्ञान के संदर्भ में लोकहित का उल्लंघन करने के कारण;

(2) प्रतिसंहरण आदेश, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि अपेक्षित हो तथा ऐसे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही, पारित किया जाएगा;

(3) बोर्ड, ऐसे प्रतिसंहरण के आदेश की एक प्रति, पहुंच को निषिद्ध करने तथा क्षति, यदि कोई हो, को निर्धारित करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति को भेजेगा तथा क्षति की वसूली के लिये कदम उठायेगा।

20. राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन–

(1) राज्य जैव विविधता निधि को बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा या बोर्ड के किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाये, प्रचलित किया जाएगा;

(2) राज्य जैव विविधता निधि में दो पृथक लेखा शीर्ष होंगे, जिसमें से एक केन्द्र शासन/राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा राज्य सरकार की प्राप्तियों (अनुदान तथा ऋण) से सम्बंधित होगा जिसमें ऐसे अन्य स्रोतों से सम्बंधित प्राप्तियाँ जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये, सम्मिलित होगी तथा दूसरा, बोर्ड की विविध प्राप्तियों से संबंधित होंगी;

(3) राज्य सरकार, बोर्ड को ऐसी निधि उपलब्ध करायेगी, जैसा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक समझे;

(4) बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा कि निधि के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित विनिश्चय पारदर्शी हों।

21. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण–

(1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण देते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(2) बोर्ड, लेखाओं को रखने की प्रक्रिया अधिकथित करेगा। बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक लेखा परीक्षण बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा, राज्य का महालेखाकार भी लेखाओं की संपरीक्षा कर सकेगा;

(3) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, आगामी वर्ष के सितंबर मास तक वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखा विवरण सहित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

22. जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबंधन–

(1) बोर्ड, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के परामर्श से, महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सरल बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा, बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य सरकार इस आशय की अधिसूचना जारी करेगी;

(2) बोर्ड, विरासत स्थलों के चयन, प्रबंधन तथा अन्य पहलुओं पर मार्गदर्शक सिद्वांत विरचित करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें, संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए निर्णय लेने की व्यवस्था उपलब्ध हैं।

23. जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन –

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा, तदनुसार, जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर के साथ–साथ नगर पंचायत, नगरपालिका एवं नगर निगम स्तर पर भी गठित की जायेगी;

(2) उप–नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में स्थानीय निकायों द्वारा नामनिर्देशित सात स्थानीय जानकार व्यक्ति होंगे, जिनमें महिलाएं एक तिहाई से कम नहीं होगी। इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्तियों को जड़ीबूटी विशेषज्ञ, कृषक, नान टिम्बर वनोपज संग्राहक/व्यापारी, मछली–पालक, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि, जिनके बारे में स्थानीय निकाय का यह विश्वास हो कि वह जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, में से लिया जाएगा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अनुपात, जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नामनिर्देशित समस्त व्यक्ति, उक्त स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर के निवासी होने चाहिए तथा उनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए;

(3) स्थानीय निकाय द्वारा वन, कृषि पशुपालन, स्वास्थ, मछली पालन तथा शिक्षा विभाग में से छः विशेष आमंत्रितों को नाम निर्देशित किया जायेगा;

(4) जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। बराबर (मत) रहने की दशा में, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा;

(5) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा उसे पुनः निर्वाचित किया जा सकेगा;

(6) विभिन्न स्तरों की जैव विविधता प्रबंधन समितियों की बैठक में, विधान सभा के स्थानीय सदस्य तथा संसद सदस्य, विशेष आमंत्रित होंगे;

(7) सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक क्षेत्रों, समुदायों और व्यक्तियों में से जैव विविधता के क्षेत्र में विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक तकनीकी सहयोग समूह, जिला पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह जैव विविधता समितियों को सहयोग प्रदान करेगा;

(8) जैव विविधता प्रबंधन समितियों का प्रमुख कार्य जैव विविधता का संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) को सुनिश्चित करना होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति, जन जैव विविधता पंजी तैयार करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी। पंजी में, स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान, उनके औषधीय या कोई अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी अंतर्विष्ट होगी। जिला पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति, जन जैव विविधता पंजी डेटा बेस के जिला स्तरीय नेटवर्क के विकास के लिए उत्तरदायी होगी। जन जैव विविधता पंजी, बोर्ड द्वारा नियत की गई प्रक्रिया तथा प्ररुपों (फार्मेट) का उपयोग करते हुये, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/ नगरपालिका निगम के स्तर पर तैयार की जायेगी। जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ एवं स्थानीय निकाय, जन जैव विविधता पंजियों में अभिलिखित ज्ञान की संरक्षा सुनिश्चित करने, विशेषकर बाह्य अभिकरणों एवं व्यक्तियों तक इसकी पहुंच को विनियमित करने के लिये, उत्तरदायी होंगे;

(9) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कृत्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन हेतु उसको संदर्भित किसी मामले पर सलाह देना या जैविक स्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्य तथा चिकित्सकों के बारे में आंकड़े (डेटा) संधारित करना है;

(10) जिला तथा जनपद जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण संबंधी मुद्दों को निगमित करने का प्रयास करेंगी;

(11) जैव विविधता प्रबंधन बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जन जैव विविधता पंजियां तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पंजियों में अभिलिखित समस्त जानकारियों को बाहरी अभिकरणों तथा व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग तथा विनियोग के विरुद्ध विविधिक संरक्षण प्राप्त हो;

(12) जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक स्वीकृत पहुंच के विवरण (ब्यौरे), अधिरोपित फीस के संग्रहण के विवरण तथा उनसे व्युत्पन्न लाभों के विवरण एवं उनके प्रभाजन (हिस्सा बांटने) की पद्धति के बारे में जानकारी देते हुए एक पंजी भी संधारित करेगी;

(13) जैव विविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर पालिक निगम स्तर पर, ऐसे निबंधन विनिश्चित कर सकेगी, जिन पर उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच की अनुज्ञा प्रदान की जा सके तथा उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के तरीके द्वारा प्रभारों का उदग्रहण करेगी। निजी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों को उद्ग्रहण का प्रमुख हिस्सा, भूमि के स्वामी/जोतधारक (कृषक)/ज्ञानधारक को देना चाहिए तथा शेष जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए। सरकारी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों के उद्ग्रहण को पूर्ण रूप से जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए;

(14) बोर्ड, जैव विविधता समितियों द्वारा पहुंच और फीस के संग्रहण के लिए उनसे परामर्श के पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा;

(15) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिक निगम के स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ, जन जैव विविधता पंजी से उत्पाद का उपयोग करते हुए, एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करेगी तथा इसके कियान्वयन के लिए या उसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायी होगी;

(16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि प्रति सदस्यता, नियमित समन्वय बैठक तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा, जैसा कि स्थानीय निकायों द्वारा अवधारित किया जाये या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, विद्यमान स्थानीय संस्थानों के कृत्यों से जैव विविधता प्रबंधन समिति एकीकृत है।

24. स्थानीय जैव विविधता निधि–

(1) स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर पर एक जैव विविधता निधि गठित की जाएगी। स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रयोजन जिसके लिये निधि प्रयुक्त की जायेगी, वह रीति ऐसी होगी, कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये;

(2) बोर्ड, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण से उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऋण या अनुदान, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य स्रोतों के माध्यम से भी, पहुंच सकेंगे;

(3) स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रचालन, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा निधि के प्रचालन के लिए ऐसी रीतियां सम्मिलित करते हुये, जिसमें इसके कृत्य पारदर्शी हों, प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी;

(4) निधि का उपयोग, संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए जहाँ तक उसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत हो, किया जाएगा;

(5) स्थानीय जैव विविधता निधि का लेखा, ऐसे प्ररुपों में तैयार किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

(6) जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी;

(7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे, ऐसी रीति में संधारित तथा संपरीक्षित किए जाएंगे, जैसे कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

25. विवादों का निपटारे के लिए अपील–

(1) यदि किसी आदेश / निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या किसी नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर, प्राधिकरण तथा बोर्ड के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो या तो पीड़ित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड, अधिनियम की धारा 50 के अधीन

(10) जिला तथा जनपद जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण संबंधी मुद्दों को निगमित करने का प्रयास करेंगी;

(11) जैव विविधता प्रबंधन बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जन जैव विविधता पंजियां तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पंजियों में अभिलिखित समस्त जानकारियों को बाहरी अभिकरणों तथा व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग तथा विनियोग के विरुद्ध विविधिक संरक्षण प्राप्त हो;

(12) जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक स्वीकृत पहुंच के विवरण (ब्यौरे), अधिरोपित फीस के संग्रहण के विवरण तथा उनसे व्युत्पन्न लाभों के विवरण एवं उनके प्रभाजन (हिस्सा बांटने) की पद्धति के बारे में जानकारी देते हुए एक पंजी भी संधारित करेगी;

(13) जैव विविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर पालिक निगम स्तर पर, ऐसे निबंधन विनिश्चित कर सकेगी, जिन पर उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच की अनुज्ञा प्रदान की जा सके तथा उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के तरीके द्वारा प्रभारों का उदग्रहण करेगी। निजी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों को उद्ग्रहण का प्रमुख हिस्सा, भूमि के स्वामी/जोतधारक (कृषक) /ज्ञानधारक को देना चाहिए तथा शेष जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए। सरकारी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों के उद्ग्रहण को पूर्ण रूप से जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए;

(14) बोर्ड, जैव विविधता समितियों द्वारा पहुंच और फीस के संग्रहण के लिए उनसे परामर्श के पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा;

(15) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिक निगम के स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ, जन जैव विविधता पंजी से उत्पाद का उपयोग करते हुए, एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करेगी तथा इसके कियान्वयन के लिए या उसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायी होगी;

(16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि प्रति सदस्यता, नियमित समन्वय बैठक तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा, जैसा कि स्थानीय निकायों द्वारा अवधारित किया जाये या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, विद्यमान स्थानीय संस्थानों के कृत्यों से जैव विविधता प्रबंधन समिति एकीकृत है।

24. स्थानीय जैव विविधता निधि–

(1) स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर पर एक जैव विविधता निधि गठित की जाएगी। स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रयोजन जिसके लिये निधि प्रयुक्त की जायेगी, वह रीति ऐसी होगी, कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये;

(2) बोर्ड, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण से उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऋण या अनुदान, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य स्रोतों के माध्यम से भी, पहुंच सकेंगे;

(3) स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रचालन, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा निधि के प्रचालन के लिए ऐसी रीतियां सम्मिलित करते हुये, जिसमें इसके कृत्य पारदर्शी हों, प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी;

(4) निधि का उपयोग, संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए जहाँ तक उसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत हो, किया जाएगा;

(5) स्थानीय जैव विविधता निधि का लेखा, ऐसे प्ररुपों में तैयार किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

(6) जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी;

(7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे, ऐसी रीति में संधारित तथा संपरीक्षित किए जाएंगे, जैसे कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

25. विवादों का निपटारे के लिए अपील–

(1) यदि किसी आदेश / निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या किसी नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर, प्राधिकरण तथा बोर्ड के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो या तो पीड़ित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड, अधिनियम की धारा 50 के अधीन

प्रारुप–दो में अपील प्रस्तुत करेगा, किसी आदेश/निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर एक बार्ड आदेश/निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के बीच विवाद होने की स्थिति में केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (4) के अधीन उसे निर्दिष्ट करेगी;

(2) अपील के ज्ञापन में, मामले के तथ्यों, अपील प्रस्तुव्र करने हेतु आवेदक द्वारा विश्वास किये गये आधार तथा उसके लिए चाहे गये अनुतोष को अभिकथित करेगा। इसके साथ, यथास्थिति, ऐसे आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय, जिससे अपीलार्थी व्यथित हुआ है, को अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होगी तथा वह अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा;

(3) अपील का ज्ञापन, चार प्रतियों में, यथास्थिति, ऐसे आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय, जिसके द्वारा अपीलार्थी व्यथित हुआ था, की अभिप्रमाणित प्रति के साथ, या तो व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से पावती के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपील प्रस्तुत करने में विलंब होने का अच्छा और पर्याप्त कारण था तो अपीलीय प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए 30 दिनों की पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, किन्तु यथास्थिति, आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय की तारीख से 45 दिनों की समाप्ति के पूर्व, अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा देगा;

(4) इसी प्रकार बोर्ड, बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बीच या जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बीच तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों और संबंधित स्थानीय निकायों के बीच विवादों के निपटारे के लिए प्रकिया अभिकथित करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव

●●●

प्ररुप–एक

(नियम 17 देखिए)

वाणिज्यिक उपयोग एवं सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच/संग्रहण के लिए आवेदन प्ररुप

भाग–क

1. आवेदक का पूर्ण विवरण
   - (क) नाम :
   - (ख) स्थायी पता :
   - (ग) सम्पर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :
   - (घ) संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा): (कृपया अभिप्रमाणन के लिए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।)
   - (ङ) कारोबार की प्रकृति:
   - (च) भारतीय रूपये में संगठन का व्यापारावर्त (टर्नओवर):
2. पहुंच के लिए चाही गई प्रकृत्ति तथा जैविक सामग्री और/या सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच के बारे में विवरण तथा विशिष्ट जानकारी :–
   - (क) जैव संसाधनों की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारंपरिक उपयोग :
   - (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें ग्राम, जनपद तथा जिला सम्मिलित हैं):
   - (ग) पारंपरिक ज्ञान का विवरण /प्रकृति, उसकी विद्यमान अभिव्यक्तियाँ एवं उपयोग (मौखिक /दस्तावेजी):
   - (घ) पारंपरिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति/कुटुंब/समुदाय :
   - (ङ) संग्रहित किये जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा :
   - (च) समय सीमा, जिसमें जैव संसाधन संग्रहित किया जाना प्रस्तावित है:
   - (छ) संग्रहण करने के लिए कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्या :
   - (ज) पहुंच का प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें सम्मिलित हैं अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, व्युत्पन्न किया जा रहा वाणिज्यिक उपयोग और जिससे व्युत्पन्न होना प्रत्याशित हैं :
   - (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण अथवा उपयोग से जैव विविधता के किसी घटक को खतरा है और क्या खतरा, पहुंच से उत्पन्न हो सकता है?
3. कोई अन्य जानकारी :

भाग–ख

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हूँ/ हैं कि :

- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगाः
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय समाघात नहीं होगा :
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग, पारस्थितिक तंत्र, प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैव विविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा :
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग, स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

मैं/हम यह और घोषणा करते हूँ/हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, सत्य एवं प्रमाणिक है तथा मैं/हम किसी गलत/असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार रहूंगा/रहेंगे।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम : ....

पदनाम ....

प्ररुप–दो

अपील के ज्ञापन का प्रारुप

(नियम 25 देखिए)

सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

अथवा

अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (जैसी भी स्थिति हो) के समक्ष

(जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन अपील का ज्ञापन)

अपील क. .... 20 ....

....

अपीलार्थी (गण)

....

विरुद्ध

....

प्रत्यार्थी (गण)

....

(यहाँ, यथास्थित, प्राधिकरण / बोर्ड के पदनाम का उल्लेख करें)

अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक .... के विरुद्ध इस अपील के ज्ञापन को अधिमानता देने की प्रार्थना करता है :–

1. तथ्य :–

   (यहाँ मामले में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें) :

2. आधार :–

   (यहाँ उन आधारों का उल्लेख करें, जिन पर अपील की गयी है) :

   (एक)

   (दो)

   (तीन)

3. चाहा गया अनुतोष :–

   (एक)

   (दो)

   (तीन)

4. प्रार्थना :–

(क) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी के आदेश/निर्णय को अभिखंडित/अपास्त कर दिया जाये।

(ख) प्रत्यर्थी द्वारा तैयार नीति/मार्गदर्शक सिद्धांत /नियम/विनियम.............. सीमा तक अभिखंडित/उपांतरित/निष्प्रभावी कर दिया जाएं।

(ग) ....

5. इसी अपील के लिए फीस के रूप में आदेश क्र........... दिनांक .... के माध्यम से रु. .... (रुपए.................) का भुगतान .... को किया गया।

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

मुद्रासहित

पता ....

....

....

सत्यापन

मैं, अपीलार्थी, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। .... दिन .... को सत्यापित।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर/मुद्रासहित

पता ....

....

....

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्न – उस आदेश, निदेश या नीति निर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की अधिप्रमाणित प्रति।

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
।। आदेश ।।

रायपुर दिनांक 01–08–2015

क्रमांक एफ 8–4 / 2011 / 10–2 :– छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं जिला / विकासखंड / ग्राम पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee) के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए सप्तम एवं उत्तरदायी संस्था के रूप में प्रत्येक वनमंडल स्तर पर तकनीकी सहायता समूह का गठन किया जावेगा। जिले के वनमंडलाधिकारी उक्त तकनीकी सहायता समूह के नोडल अधिकारी / समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

जैव विविधता समिति के नोडल अधिकारी निम्नानुसार वर्णित कार्य संपादित करेंगे :–

1. तकनीकी सहायता समूह में कृषि / पशुपालन / उद्यानिकी / आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विषय संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित कर वनमंडल स्तर पर तकनीकी सहायता समूह का गठन करेंगे।
2. छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के निर्देशानुसार जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जिला / विकासखण्ड / पंचायत स्तरीय जैव विविधता समिति (Biodiversity Management Committee) का गठन करेंगे।
3. जैव विविधता पंजी तैयार करने में जैव विविधता समिति को मार्गदर्शन देंगे एवं उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे।
4. छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के साथ–साथ उनका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कर बोर्ड को प्रतिवेदन देगें।
5. राज्य के Biological Heritage Sites के सर्वेक्षण एवं उनके संरक्षण संबंधी प्रस्ताव तैयार करेंगे।
6. विभिन्न संस्थाओं से संबंधित जैव विविधता के मुद्दों एवं क्रियाकलापों पर छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड को प्रतिवेदन देंगे।
7. छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के मार्ग दर्शन में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे एवं जैव विविधता संरक्षण एवं संर्वधन संबंधित कार्यों का संपादन करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अनिल कुमार साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 8–4/2011/10–2 रायपुर, दिनांक 01/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मानवीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि/पशुपालन/उद्यानिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन विभाग एवं अध्यक्ष, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड।
6. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर।
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड, रायपुर।
12. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
13. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
14. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) छत्तीसगढ़।
15. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
16. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
17. बोर्ड के नामांकित सदस्य श्री .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग